

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(भर्ती, वरिष्ठता, एवं पदोन्नति) विनियम 2010.

अनुक्रमणिका

विनियम	विषय	पृष्ठ
1	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	2
2	प्रयुक्ति	2
3	परिभाषाएँ	2
4	नियुक्ति की पध्दति	4
5	अनुसूचियाँ	4
6	रिक्तियों का रोस्टर	5
7	आरक्षण	5
8	सीधी भर्ती के लिये नागरिकता, चरित्र, शारीरिक स्वास्थ्यता आदि	5
9	सीधी भर्ती के लिये विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता	7
10	रिक्तियों का विज्ञापन	7
11	विशिष्ट मामलों में लिखित या कुशलता परीक्षाओं का आयोजन	7
12	सेवा चयन समिति	7
13	चयन सूची	10
14	सेवा चयन समिति की शिफारिशों पर विचार और तदर्थ नियुक्तियाँ	10
15	किसी प्रकार का प्रचार/समर्थन अभ्यार्थी को अपात्र ठहरायेगा	11
16	तथ्य को छुपाना भी अपात्रता साबित हो सकता है	11
17	नियुक्ति आदेश रद्द करना	11

विनियम	विषय	पृष्ठ
18	साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिये यात्रा भत्ते का भुगतान	11
19	परिवीक्षा अवधि	11
20	परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा में कायम करना	12
21	परिवीक्षा पर होनेवाले कर्मचारियों को सेवा से हटाना या पूर्व पद पर भेजना	13
22	कुछ विशिष्ट मामलों में पदोन्नति, सेवा में कायम किये जाने के लिये विभागीय परीक्षा	14
23	विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण पूर्व पद पर वापस भेजना	14
23	वरिष्ठता सूची	14
25	वरिष्ठता निश्चित करना	14
26	विभागीय पदोन्नति समिति	15
27	पदोन्नति के लिये चयन का क्षेत्र	15
28	तदर्थ/नियुक्तियाँ	16
29	सानुग्रह आधार पर नियुक्तियाँ	16
30	अर्थ निर्णय	16
31	रद्द करना और बनाए रखना	16
	अनुसूची	17-110

